Witness No….....04.....,for–.....अभियोजन.....,

Deposition taken on the ...16.07.2026.....,day of - witness's apparent age –..37.....वर्ष

States affirmation on oath.....शपथपूर्वक..... my name is –.....श्री दीपेश सिंह..

D/W/S of – .....पिता– स्व0 श्री जगेन्द्र सिंह...occupation–....व्यवसाय....

Address – ....वार्ड 04, बुधवारी बाजार बालोद, थाना व जिला बालोद, छ0ग0...

//राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री प्रमोद धृतलहरे उपस्थित।//

मुख्य परीक्षण प्रारंभ समय 01:00 बजे।

01. आरोपी चंद्रमल राजपूत मेरे जीजा हैं। अन्य आरोपीगण दिनेश सिंह राजपूत, बिरेन्द्र सिंह राजपूत, पुष्पा राजपूत, सुरेखा ठाकुर मेरे जीजा के रिश्तेदार हैं। प्रार्थिया श्वेता सिंह मेरी बहन है। वर्ष 2018 में मेरी बहन श्वेता सिंह का विवाह चंद्रमल ठाकुर से हुआ था। विवाह के पश्चात मेरी बहन श्वेता सिंह अपने ससुराल ग्राम दर्री, थानखम्हरिया के पास रहती थी।

02. विवाह के लगभग 01 माह पश्चात और 01 बार और अपनी बहन श्वेता सिंह के ससुराल ग्राम दर्री गया था। 01 वर्ष पश्चात मेरे जीजा चंद्रमल राजपूत मेरी बहन श्वेता सिंह को हमारे घर छोड़ने आया उस समय श्वेता सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसके पश्चात चंद्रमल राजपूत मेरी बहन को लेने आया ही नहीं।

03. मेरी बहन श्वेता चंद्रमल राजपूत को फोन लगाती रही लेकिन उसे लेने नहीं आया। मेरी बहन श्वेता का एक पुत्र भी है। मेरी बहन का लगभग 08 माह पूर्व देहांत हो गया है। मेरा भांजा सार्थक सिंह, उम्र 06 वर्ष मेरे साथ हमारे परिवार के साथ रहता है। मेरे भांजा को भी चंद्रमल अपने पास नहीं ले गया।

04. मेरी बहन के साथ आरोपीगण मारपीट करते थे। स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी वजन उठवाते थे। उसके ससुराल वाले जलते चूल्हे में पानी डाल देते थे। घर में गैस सिलेंडर होने के बाद भी उससे लकड़ी चूल्हा से खाना बनवाते थे। मेरी

बहन ने महिला सेल दुर्ग में शिकायत की थी जिस संबंध में परिवार न्यायालय में भी वाद चला था। बालोद में भी परिवार न्यायालय में वाद चल रहा है।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री ए0के0 कश्यप, वास्ते आरोपीगण //

05. मेरी बहन की शादी कब हुई थी उसकी तारीख आज मुझे निश्चित रूप से याद नहीं है। आज जो न्यायालय में बयान दिया हूं " विवाह के लगभग 01 माह पश्चात और 01 बार और अपनी बहन श्वेता सिंह के ससुराल ग्राम दर्री गया था। 01 वर्ष पश्चात मेरे जीजा चंद्रमल राजपूत मेरी बहन श्वेता सिंह को हमारे घ ार छोड़ने आया उस समय श्वेता सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसके पश्चात चंद्रमल राजपूत मेरी बहन को लेने आया ही नहीं।'' उक्त बातें मैने अपने पुलिस कथन में नहीं बताया था।

06. आज जो न्यायालय में बयान दिया हूं ''मेरी बहन श्वेता चंद्रमल राजपूत को फोन लगाती रही लेकिन उसे लेने नहीं आया।मेरा भांजा सार्थक सिंह, उम्र 06 वर्ष मेरे साथ हमारे परिवार के साथ रहता है। मेरे भांजा को भी चंद्रमल अपने पास नहीं ले गया।मेरी बहन के साथ आरोपीगण मारपीट करते थे। स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी वजन उठवाते थे।'' उक्त बातें मैने अपने पुलिस कथन में नहीं बताया था।

07. आज जो न्यायालय में बयान दिया हूं ''उसके ससुराल वाले जलते चूल्हे में पानी डाल देते थे। घर में गैस सिलेंडर होने के बाद भी उससे लकड़ी चूल्हा से खाना बनवाते थे।" उक्त बातें मैने अपने पुलिस कथन में नहीं बताया था। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना मेरी बहन श्वेता के साथ नहीं हुई थी इसलिए मैने उक्त बातें पुलिस बयान में नहीं बताया था।

08. यह कहना गलत है कि मै आज न्यायालय में आरोपीगण को फंसाने के लिए झूठा कथन कर रहा हूं। विवाह के समय टीकावन उपहार में हमारे पक्ष से स्कूटी दिया गया था या नहीं मै नहीं बता सकता।

09. यह कहना सही है कि श्वेता सिंह की शादी होने के पश्चात मेरी बहनों में छोटी बहन नीतू की शादी हुई थी। यह कहना सही है कि शादी समारोह में मेरे जीजा चंद्रमल, दीदी श्वेता वगैरह लोग आए थे। यह कहना सही है कि श्वेता की शादी नीतू से पहले हुई थी।

10. नीतू की शादी में श्वेता लगभग 10–15 दिन रूकी थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि शादी से वापस जाने के बाद श्वेता की ईलाज आरोपी ने करवाया था। यह कहना सही है कि वर्ष 2019 में मेरी बहन श्वेता तीजा के लिए आई थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अभियुक्त को तीजा के लिए छोड़ने कहे थे तो उसने छोड़ा था।

11. यह कहना सही है कि वर्ष 2019 में तीजा के बाद से श्वेता हमारे घर में ही रही। यह कहना गलत है कि तीजा के बाद वर्ष 2019 में आरोपी लेने आया था। दिनांक 20.02.2020 को मेरी बहन श्वेता की डिलीवरी बालोद में हुई थी। यह कहना सही है कि डिलीवरी के बाद आरोपी चंद्रमल देखने और मिलने के लिए बालोद आया था। स्वतः कहा कि 21 या 22 तारीख है मै नहीं बता सकता।

12. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी ने मेरी बहन गायत्री को जचकी व ईलाज खर्च के लिए 20,000 रू0 दिया था। यह कहना सही है कि जचकी के बाद आरोपी व रायपुर समाज के लोग लेने आए थे। यह कहना सही है कि हम लोग हमारी बहन को नहीं भेजे थे। यह कहना सही है कि हम लोग जब श्वेता को नहीं भेजे तो आरोपी ने बेमेतरा में केस किया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि श्वेता सिंह को बेमेतरा न्यायालय से अपने पति के पास जाकर रहने के लिए आदेश किया गया था। यह कहना सही है कि न्यायालय के आदेश की बाद भी श्वेता सिंह अपने पति के पास नहीं गई थी।

13 यह कहना सही है कि श्वेता सिंह की मृत्यु होने के बाद आरोपी अस्पताल आया था। यह कहना सही है कि आरोपी अपनी पत्नी के दाह संस्कार वगैरह को बनारस–कांशी ले जाकर किया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि

दशगात्र के दिन अपने पुत्र सार्थक को आरोपी अपने साथ ले जाने और रखने की बात किया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अपने भांजे को अभी अपने पास बालोद में रहने दो करके रखे हैं।

14. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मई 2026 में आरोपी अपने पुत्र को ले जाने के लिए आया था। अभी नहीं भेजेंगे ऐसी बात मेरी दीदी लोग बोले होंगे तो मुझे जानकारी नहीं है। स्वतः कहा कि मैने नहीं कहा था।

15. यह कहना गलत है कि आरोपी चंद्रमल और उसके परिवार वालों को झूठा फंसाने के लिए सोच विचार कर हम लोगों ने झूठा रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं। यह कहना गलत है कि आरोपीगण ने कभी किसी भी प्रकार से प्रार्थिया को प्रताड़ित नहीं किए हैं।

16. यह कहना सही है कि मैने मारपीट करने, चूल्हा में खाना बनाने, चूल्हा में पानी डालने की तारीख वगैरह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी इस कारण तारीख नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मै आज झूठ बयान दे रहा हूं।

प्रतिपरीक्षण समाप्ति समय 01:40 बजे।

गवाह को पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया। गवाह का हस्ताक्षर मेरे निर्देशन में टंकित

सही/–
(संजय कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बालोद छ.ग.

सही/–
(संजय कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बालोद छ.ग.